>

Title: Need to look into the problems of Sugarcane growers.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। गन्ने का पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन अब तक पेराई का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। गन्ने का मूल्य 125-130 रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित हुआ था, लेकिन 50 रुपए प्रति क्विंटल पर भी मिल मालिक गन्ने को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि किसान खेत उजाड़ रहा है, वह परेशान है। 80 फीसदी गन्ना किसान वे हैं, जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया था। गन्ने की फसल बोने के बाद जब किसान फसल की कटाई करता है, तो उसके बाद पेराई सत्र शुरू हो जाता है। इसी जमीन पर वह गेहूं की फसल पैदा करता है। चीनी मिल मालिक गन्ना नहीं ले रहे हैं, उसका परिणाम यह हो रहा है कि एक तरफ किसान को कर्ज न चुकाने की वजह से बैंक से नोटिस आ रहा है और दूसरी तरफ गन्ना न उठने के कारण जमीन खाली नहीं हो रही है और जमीन खाली न होने की वजह से किसान गेहूं बो नहीं सकता है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आपके मारफत बताना चाहूंगा कि अभी भारत के कृषि मंत्री श्री शरद पवार का बयान अखबार में छपा था

> "Sugar Mills may soon get 12 per cent subsidy.
> Farmers may be getting only five per cent interest subsidy, but if Food and Consumer Affairs Ministry has its way, sugar mills would soon get 12 per cent subvention."

अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार एक तरफ चीनी मिल-मालिकों के संरक्षण की बात कह रही है, वहीं प्राथमिकता के आधार पर सरकार को गन्ना किसानों के हालात पर गौर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का सरकार पर बकाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले वायदा किया था कि 31 अगस्त तक गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद फिर कहा गया कि 15 नवम्बर तक गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान कर देंगे, लेकिन इस बार भी भुगतान नहीं हुआ। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। भारत सरकार को तत्काल इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका गन्ना उत्पादक किसानों का इलाका है। यही उनकी रोजी-रोटी का जरिया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे बहुत भयावह हैं। जहां एक ओर कृषि के संरक्षण की बात कहते हैं, अधिक उत्पादन की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी नीतियां हैं, उनसे बहुत खतरनाक परिणाम सामने आने वाले हैं।[R10] क्या भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से गौर करेगी? मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क करके, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानो का भुगतान अतिशीघ्र कैसे हो सकता है, उस पर विचार करे।

SHRI LAKSHMAN SINGH (RAJGARH): Sir, I would like to associate with him.

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सुमन जी ने सवाल किया कि पूरे देश में गन्ना किसानों का एक समान मूल्य केन्द्र सरकार ने घोषित नहीं किया है। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तरह से रिकवरी के आधार पर गन्ने का रूप देने का काम भारत सरकार ने किया है जो किसान हित के विरोध में है। आज उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक किसानों को बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय में मुकदमा किया गया था। गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य पहले 125 और 130 रुपए प्रति-क्विंटल था, उसे अब 110 रुपए कर दिया है। इससे दो तरह की स्थिति पैदा हो गई है। जो सरकारी चीनी मिलें हैं, वे अभी 125 और 130 रुपए देने को तैयार नहीं हैं और निजी चीनी मिलें 110 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इस सवाल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपने गन्ने के अधिकार को लेने के लिए मूल्य के सवाल पर आन्दोलनरत हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के मूल्य का रूप एक समान निर्धारित किया जाए और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा जो भेदभाव किया गया है, उसे दूर करे, पिछले गत वर्ष गन्ने का मूल्य 125 और 130 रुपए था, उसी तरह से भुगतान कराए और किसानों का जो बकाया है, उसे दिलाने का जोर से दबाव डाल कर प्रयास करे।